संख्या–368/9–आ–4–1999/704एन/97

प्रेषक,
श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
लखनऊ/देहरादून।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 1999

विषय, स्थानीय निकायों के किरायेदारों के पक्ष में भूमि के फ्री–होल्ड के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।

महोदय,

आप अतगत है कि विषयगत प्रकरणों में फ्री–होल्ड की व्यवस्था शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98–704/एन/97, दिनांक 1.12.98 से लागू की गई थी।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि शासनादेश दिनांक 2.12.92 के प्रस्तर–2(2) की व्यवस्थानुसार विभिन्न जनपदों में फ्री–होल्ड आवेदन पत्र लम्बित है तथा कुद आवेदन पत्रों में पूर्व में डिमाण्ड नोटिस जारी होने के उपरान्त फ्री–होल्डहेतु सम्पूर्ण धनराशि भी आवेदक द्वारा जमा की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि शासनादेश दिनांक1.12.98 ऐसे प्रकरणों में स्थानीय निकायों को फ्री–होल्ड कराने का प्रथम अवसर दिनांक 31.12.98 तक प्रदान किया गया है और इसकी अवधि शासनादेश संख्या–2772/9–आ–4–98–704एन/97, दिनांक, 31.12.98 द्वारा दिनांक 31.1.99 तक बढ़यी जा चुकी है। अतः पूर्व नीति के तहत प्राप्त उक्त प्रकृति के आवेदन पत्रों पर फ्री–होल्ड की कार्यवाही शासन के अगले आदेशों तक स्थागित रखी जाय, भले ही अवेदकों द्वारा फ्री–होल्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा की जा चुकी हो।

कृपया उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

संख्या– 368(1/9–आ–4–99)तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1).समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2). समस्त स्थानीय निकाय, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
(3). गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
यज्ञवीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव